महत्वपूर्ण एवं खास

न्यायालय कर्मचारी का रास्ता रोककर गाली गलौच, तीन आरोपियों पर मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। धरमजयगढ न्यायालय में आदेशिका वाहक के पद पर कार्यरत अर्जुन सिंह ध्रुव पिता स्व. खलिबहरा ध्रुव न्यायालय से जारी नोटिस, समंस तामील करने ग्राम ठाकुरपोडी थाना कापू गया हुआ था। शाम करीब 16:00 बजे ठाकुरपोडी स्कूल के पास मोड में तीन अज्ञात व्यक्ति अर्जुन सिंह ध्रुव को रोककर तुम कौन हो, आईडेन्टी कार्ड दिखाओ कहते हुए गाली गलौच कर कालर पकड़कर मारपीट किये। तीनों आरोपियों ने अर्जुन सिंह के मोटर सायकल का चाबी निकालकर उसके नोटिस, वारंट भरा बैग को छिनने लगे। अर्जुन सिंह ध्रुव ने घटना की रिपोर्ट थाना कापू में दर्ज कराया है रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 45/19 धारा 186, 294, 332, 341, 353, 393, 34 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

मिलूपारा हिंडाल्को माइंस के पास मिला युवक का शव, जांचोपरान्त हत्या का अपराध दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना तमनार में सूचक गिरधारी बेहरा पिता सहदेव बेहरा द्वारा सूचना दिया गया कि इसका चचेरा भाई लोकेश बेहरा पिता दशरथ बेहरा उम्र 23 वर्ष सा- हिंझर थाना तमनार, हिंडाल्को मांईस के पास रहता था उसकी लाश कमरे के बाहर खुले स्थान में पड़ी हैं। घटना के संबंध में थाना तमनार में मर्ग क्रमांक 24/19 धारा 174 जा.फौ. पंजीबद्ध कर मृतक लोकेश बेहरा के शव पंचनामा कार्यवाही, पी.एम. कराया गया। पी.एम. रिपोर्ट पर डाक्टर द्वारा मृतक की मौत गला घोटने के कारण व मौत की प्रकृति मानव जनित हत्या लेख किया गया है। मर्ग जांच एवं शव परीक्षण रिपोर्ट पर से आज दिनांक 22.06.19 को मृतक लोकेश बेहरा की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला घोटकर हत्या करना पाए जाने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 101/19 धारा 302 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

जमानतदार ने छलपूर्वक जमानत के लिए ऋण पुस्तिका की कलर फाटो लगायी, जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विवेक गर्ग के न्यापयालय में जमानतदार मंगल सिंह राठिया पिता घसिया राठिया निवासी ग्राम नवागांव तहसील व जिला रायगढ द्वारा न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 62/18 (छ.ग.) शासन विरूद्ध राजा सांडे में दिनांक 05.07.18 को अभियुक्त राजा सांडे की 50000 रू. की जमानत के लिए अपने ऋण पुस्तिका पेश किया गया था जिसकी जांच पर मूल ऋण पुस्तिका की कलर फोटो प्रति पायी गई। जिस पर जमानतदार मंगल सिंह राठिया के विरूद्ध आज दिनांक 22.06.19 को अप.क्र. 205/19 धारा 420, 205 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टोरेट भवन रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 19 में जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 07762-223750 है। जिसमें वनरक्षक श्री लोकेश कुमार बाजपेयी मो.नं.9098421510 एवं वनपाल श्री विनोद तिग्गा मो.नं.9826815117 को 15 जून 2019 से 30 सितम्बर तक 2019 तक बाढ़ आपदा से संबंधित सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर दूरभाष पर सूचना प्राप्त करने एवं सूचना दिए जाने के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष में कार्यरत नगर सेना के जवानों के साथ कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है।

दिल्ली में आयोजित कॉमन वेल्थ गर्लस् चेस चैंपियनशिप 2019 में सहभागिता करेंगी रायगढ़ की बिटिया महिमा जायसवाल

न्याय साक्षी/रायगढ़। कॉमनवेल्थ चेस चैम्पिनशिप 2019 (अंडर 18 गर्ल्स) का आयोजन 29 जून से 07 जुलाई 2019 तक दिल्ली चेस एशोशियशन द्वारा न्यू दिल्ली में किया गया है, जिसमें विभिन्न देशों के शतरंज खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं,उक्त प्रतियोगिता में भारत देश से अंडर 18 में परिवार न्यायालय रायगढ़ में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 श्रीमती ईश्वरी

जायसवाल एवम जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर में स्टेनोग्राफर के पद पर पदस्थ नवीन कुमार जायसवाल की प्रतिभावान सुपुत्री महिमा जायसवाल भी भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रही है,ज्ञात हो कि सुश्री महिमा जायसवाल पूर्व में भी लगभग अनेको बार ओपन एवं गर्ल्स चेस चैम्पियनशिप में राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में शामिल होकर अच्छा प्रर्दशन करते हुए प्रथम/द्वितीय स्थान प्राप्त कर चुकी है, तथा लगभग 8 बार नेशनल चेस चैम्पियनशिप में भी शामिल होकर अच्छा प्रर्दशन कर चुकी है, सुश्री महिमा जायसवाल ने सक्ती में निवासरत् रहते हुए कक्षा पहली से नवमीं तक की पढ़ाई सक्ती से की है, तथा वर्तमान में इंडियन पब्लिक स्कूल रायगढ़ में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत् है,तथा रायगढ़ शहर में ही अपने परिवार के साथ निवासरत है, उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजन एवं गुरूजन को दिया है,सुश्री महिमा के उत्कृष्ठ प्रदर्शन से रायगढ़ नगर में हर्ष व्याप्त है।

मकान का ताला तोड़कर स्कूटी की चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सरिया में दिनांक 21.06.19 को वार्ड 9 राजीव नगर डीपा पारा सरिया में रामभरोस पटेल के मकान में किराये पर रहने वाले खीस्तोफर लकडा पिता पियूस लकडा ने किराये मकान पर रखी स्कुटी को अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़कर चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया है। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि गर्मी की छुट्टी बीताने 20 मई 2019 को परिवार सहित अपने गृहग्राम गये हुये थे,। दिनाक 09.06.19 को सुबह मकान मालिक ने फोन कर बताया कि के सूचना दिये कि आपके किराये का मकान का ताला किसी अज्ञात द्वारा तोड दिया गया है। 09 जून को खीस्तोफर लकडा अपने किराये घर सरिया आकर मकान को देखा तो दरवाजा का ताला और अलमारी का लकर तोड दिया गया है। जहां प्लेजर (स्कूटी का चाबी) रखी थी उस लाकर को तोडकर प्लेजर का चाबी ले जाकर अज्ञात चोर प्लेजर सीजी 13 एई1637 को चोरी कर ले गया था। चोरी के संबंध में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 82/19 धारा 457, 380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

बैंक खाता में केवाईसी अपडेट करने के नाम पर धोखाधड़ी

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम भगवानपुर सीएमओ तिराहा के पास रहने वाला मो0 कैसर आलम, झारखण्ड का मूल निवासी है। रायगढ में विगत दस सालों से गैरेज का काम करता है। इसका कोटक महिन्द्रा बैंक में बचत खाता है। दिनांक 11.06.19 को सुबह मो. कैसर आलम के मोबाईल पर फोन आया, जिसने मो. कैसर को कोटक महिन्द्रा बैंक, मुम्बई से शाखा प्रबंधक बात कर रहा हूं बताया और मो. कैसर को केवाईसी अपडेट करने की बातकर उससे वाट्सऐप पर पेन कार्ड, आधार कार्ड भेजने को बोला फिर मो. कैसर के मोबाईल पर आये ओटीपी को पूछा, इस प्रकार 3-4 बार कॉलर ने मो0 कैसर से ओटीपी पूछा। दूसरे दिन मो. कैसर को शंका हुआ तो बैंक जाकर पता किया। उसके खाते से 5 बार में कुल 2,12,850 रूपये निकाल लिया गया था। धोखाधड़ी की शिकायत मो0 कैसर आलम द्वारा थाना कोतरारोड़ में किये जाने पर अज्ञात मोबाईल धारक के विरूद्ध अप.क्र. 134/19 धारा 420 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया।

जिले में 84.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 22 जून तक 84.9 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 17.8 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। आज सबसे ज्यादा वर्षा बरमकेला तहसील में 64.3 मि.मी.दर्ज की गई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 72.8 मिली मीटर, पुसौर में 72, खरसिया में 63.7, सारंगढ़ में 94.6, बरमकेला में 163.8, घरघोड़ा में 103, तमनार में 97.9, लैलूंगा में 62.8 तथा धरमजयगढ़ तहसील में 33.2 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर युवती से दुष्कर्म

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना धरमजयगढ़ में दिनांक 21.06.19 को 20 वर्षीय युवती ने कोरबा निवासी आकाश बैरागी उम्र 28 वर्ष के विरूद्ध अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है।

पीडिता ने बताया कि इसका परिचित आकाश बैरागी एक वर्ष पूर्व कपड़ा बदलते समय मोबाईल से इसकी तस्वीर ले लिया था। उसी तस्वीर को वायरल करने की धमकी देकर आकाश लगातार युवती से मोबाईल पर बातचीत करता था। धीरे-धीरे युवती ने आकाश से दूरी बनना शुरू किया तो आकाश 1 जून 2016 को रात में युवती के घर आ गया और चाकू की नोक पर डरा धमकाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया और युवती के साथ कुछ अश्लील तस्वीर खिंचा। उस तस्वीर को आकाश ने युवती के पति के मोबाईल पर भेजकर उसके दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तब युवती अपने माता पिता को बताकर घटना की रिपोर्ट थाना धरमजयगढ़ में दर्ज करायी, युवती के रिपोर्ट पर आकाश बैरागी पिता स्व.आनंद बैरागी उम्र 28 वर्ष निवासी मुडापार पुलिस चौकी मानिकपुर थाना कोतवाली जिला कोरबा के विरूद्ध अप.क्र. 79/19 धारा 376, 506, 509(ख) आईपीसी 67 आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

तीन लोगों की पानी में डूबने से मृत्यु

नजदीकी वारिसानों को मिली सहायता राशि

न्याय साक्षी/रायगढ़। धरमजयगढ़ अनुविभाग अंतर्गत 3 लोगों की पानी में डूबने से असामायिक मृत्यु हो गई। कलेक्टर रायगढ़ द्वारा एसडीएम धरमजयगढ़ की अनुशंसा पर मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील धरमजयगढ़ अंतर्गत ग्राम-पखनाकोट निवासी रोहित कुमार की 13 दिसम्बर 2018 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी आनंदकुमारी राठिया को 4 लाख रुपए, ग्राम-तेन्दुमुड़ी के ठीकसराम की 8 सितम्बर 2017 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी महेत्तरीन बाई को 4 लाख रुपए तथा ग्राम-कटाईपाली सी के नोनईबाई की 13 अक्टूबर 2018 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पुत्र एवं पुत्रियों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

कपड़ा व्यवसायी के कर्मचारियों ने अपने कमीशन के लिए कम बिल बनाकर किये लाखों रूपये की हेराफेरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थोक कपड़ा व्यवसायी आवेदक आनंद अग्रवाल पिता राधेश्याम अग्रवाल बेलादुला रोड रायगढ द्वारा दिनांक 03.06.19 को थाना चक्रधरनगर में अपने कर्मचारियों के विरूद्ध कम्प्युटर पर गलत बिल बनाकर लाखों रूपये की हेराफेरी करने के संबंध में आवेदन दिया गया था जिसकी जांच पर पाया गया कि कपड़ा व्यवसायी के कर्मचारी सचिन शर्मा, मुकेश चौहान, द्वारिका साहू, धनी पाग्री द्वारा कम्प्युटर पर गलत बिल कम बनाकर चोरी का सिंडिकेट बनाकर सदानंद विश्वाल निवासी कनकतुरा एवं सुदामा साव नेतनागर एवं अन्य को लाखो रूपये का कपड़ा कमीशन लेकर अफरा तफरी किये हैं जिसे उन्होने कबूल भी कर लिया है। अनावेदक सदानंद विश्वाल, सुदामा साव, सचिन शर्मा, मुकेश चौहान, द्वारिका साहू, धनी पाग्री एवं अन्य के विरूद्ध आज दिनांक को अप.क्र. 206/19 धारा 408, 34 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कल कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जाकेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं सैद्धान्तिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिफ्रेश कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूले मिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM

For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

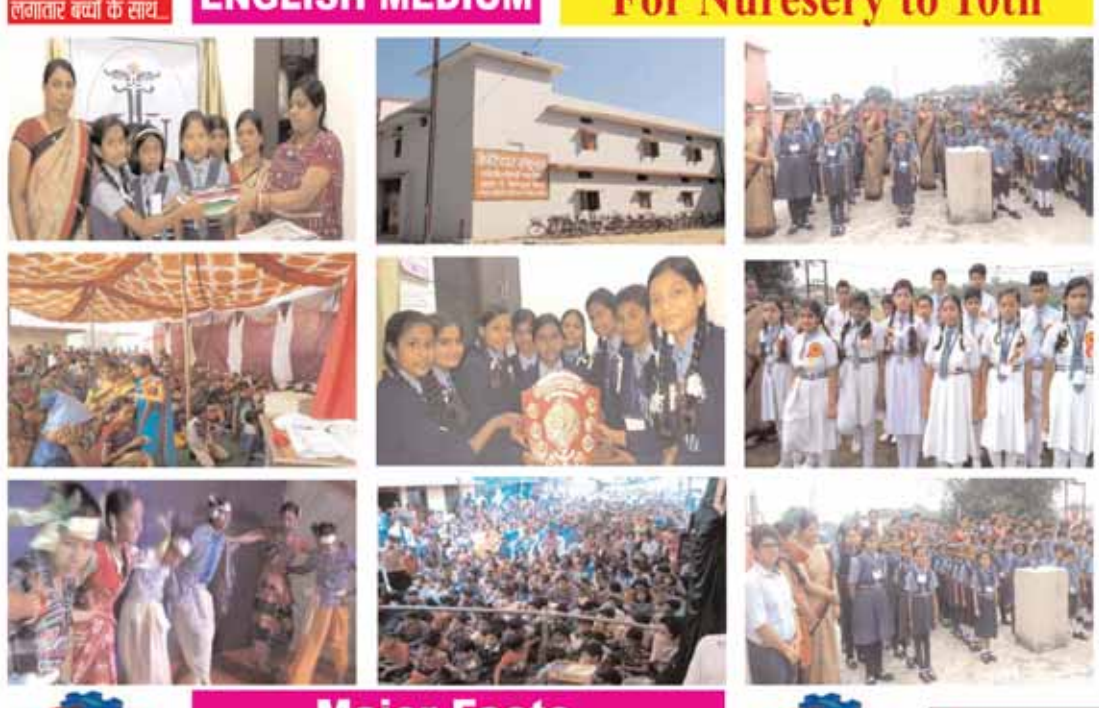

Topper Students Last Session

Join CAREER...

Major Facts

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480